न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्या:— 28 / 2017
दायर दिनांक :— 22.06..2017
निर्णय दिनांक :— 27.02.2017

अनवान

ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

श्री रतनलाल पिता श्री मोहनलाल जाति सालवी निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण / गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पटटा संख्या 03 दिनांक 15.11.2011 के विरूद्व

उपस्थित :—

1—श्री श्यामसुन्दर पालीवाल ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2—श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता , विपक्षीगण / गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जो पटटा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है,उस भूखण्ड पर कई वर्षो पूर्व से जयचन्द पिता किशन गुर्जर निवासी पीपावास का कब्जा चला आ रहा था एवं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जयचन्द का कब्जा वर्षो पूर्व का मानते हुए परन्तु उसके पक्ष में किसी प्रकार का कोई पटटा जारी नहीं होने से तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा दिनांक 23.08.2011 को पत्रावली संख्या 6 उक्त जयचन्द गुर्जर निवासी पीपावास के उक्त भुखण्ड पर वर्षो पूर्व कब्जे को हटाने हेतु पत्रावली कायम की गई एवं दिनांक 20.10.2011 को उक्त जयचन्द गुर्जर के विरूद्व तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया। जब जयचन्द गुर्जर के उक्त भूखण्ड के कब्जे को हटाने बाबत कार्यवाही विचाराधीन होते हुए भी तत्कालीन सरपंच द्वारा विपक्षी से मिलीभगत करते हुए विपक्षी को नाजायज लाभ पहुचाने के आशय से उससे मिलीभगत करतु हुए दिनांक 16.09.2011 को ही भूखण्ड का पटटा जारी करने के सम्बन्ध में आवेदन लिया जाकर पत्रावली दर्ज कर ली गई है। जब जयचन्द गुर्जर के विरूद्व कब्जा हटाने की कार्यवाही का निर्णय दिनांक 20.10.2011 को पारित किया गया हैं तो उससे पूर्व ही विपक्षी से उक्त भूखण्ड का बिना कब्जे पटटा देने हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं मिसल दर्ज कराना ही अपने आपमें संदेहास्पद प्रतीत होता है। उससे विपक्षी एवं तत्कालीन सरपंच का आपस में मिली भगत होना स्पष्ट रूप से दर्शित हैं एवं जयचन्द गुर्जर का उक्त भूखण्ड पर कब्जा होने के सम्बनध में पंचायत समिति रेलमगरा के विकास अधिकारी महोदय द्वारा सर्तकता में प्रकरण दर्ज के अनुसन्धान अन्तर्गत दिनांक 20.08.2015 को ग्राम पंचायत कोटडी के ग्रामवासियों की उपस्थिति एवं ग्राम पंचायत कोटडी के सचिव की मौजूदगी में जो पर्चा मौका उक्त भूखण्ड का बनाया गया ,उसमें

भी प्रश्नगत पटटे की भूमि पर जयचन्द का कब्जा होना स्पष्ट रूप से वर्णित हैं एवं उक्त विपक्षी द्वारा गलत पटटा जो जारी कराया गया है। वह एक तृतीय श्रेणी अध्यापक होते हुए रियायती दर पर पटटा प्राप्त करने का पात्र नहीं होते हुए भी मिलीभगत करते हुए बाला बाला बिना ग्रामवासियों की जानकारी में एवं बिना खुली निलामी के उक्त पटटा नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से प्राप्त किया हैं,वह विधि विरूद्व हैं एवं काबिल खारिज योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पटटा संख्या 03 दिनांक 15.11.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि अधिनस्त ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जो पटटा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है,उस भूखण्ड पर कई वर्षो पूर्व से जयचन्द पिता किशन गुर्जर निवासी पीपावास का कब्जा चला आ रहा था एवं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जयचन्द का कब्जा वर्षो पूर्व का मानते हुए परन्तु उसके पक्ष में किसी प्रकार का कोई पटटा जारी नहीं होने से तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा दिनांक 23.08.2011 को पत्रावली संख्या 6 उक्त जयचन्द गुर्जर निवासी पीपावास के उक्त भुखण्ड पर वर्षो पूर्व कब्जे को हटाने हेतु पत्रावली कायम की गई एवं दिनांक 20.10.2011 को उक्त जयचन्द गुर्जर के विरूद्व तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया। जब जयचन्द गुर्जर के उक्त भूखण्ड के कब्जे को हटाने बाबत कार्यवाही विचाराधीन होते हुए भी तत्कालीन सरपंच द्वारा विपक्षी से मिलीभगत करते हुए विपक्षी को नाजायज लाभ पहुचाने के आशय से उससे मिलीभगत करतु हुए दिनांक 16.09.2011 को ही भूखण्ड का पटटा जारी करने के सम्बन्ध में आवेदन लिया जाकर पत्रावली दर्ज कर ली गई है। जब जयचन्द गुर्जर के विरूद्व कब्जा हटाने की कार्यवाही का निर्णय दिनांक 20.10.2011 को पारित किया गया हैं तो उससे पूर्व ही विपक्षी से उक्त भूखण्ड का बिना कब्जे पटटा देने हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं मिसल दर्ज कराना ही अपने आपमें संदेहास्पद प्रतीत होता है। उससे विपक्षी एवं तत्कालीन सरपंच का आपस में मिली भगत होना स्पष्ट रूप से दर्शित हैं एवं जयचन्द गुर्जर का उक्त भूखण्ड पर कब्जा होने के सम्बनध में पंचायत समिति रेलमगरा के विकास अधिकारी महोदय द्वारा सर्तकता में प्रकरण दर्ज के अनुसन्धान अन्तर्गत दिनांक 20.08.2015 को ग्राम पंचायत कोटडी के ग्रामवासियों की उपस्थिति एवं ग्राम पंचायत कोटडी के सचिव की मौजूदगी में जो पर्चा मौका उक्त भूखण्ड का बनाया गया ,उसमें भी प्रश्नगत पटटे की भूमि पर जयचन्द का कब्जा होना स्पष्ट रूप से वर्णित हैं एवं उक्त विपक्षी द्वारा गलत पटटा जो जारी कराया गया है। वह एक तृतीय श्रेणी अध्यापक होते हुए रियायती दर पर पटटा प्राप्त करने का पात्र नहीं होते हुए भी मिलीभगत करते हुए बाला बाला बिना ग्रामवासियों की जानकारी में एवं बिना खुली निलामी के उक्त पटटा नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से प्राप्त किया हैं,वह विधि विरूद्व हैं एवं काबिल खारिज योग्य है। प्रश्नगत पटटा नियम 167 (1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत दिया गया है। इस प्रकार के पटटे निलामी जरिये ही प्रदान किया जाता है जिसके तहत ही पटटा प्रदान किया जा सकता है। इस मामले में कानूनी प्रावधानों के विपरीत मिलीभगत कर अवैध रूप से पटटा जारी किया गया है। वादग्रस्त पटटे की भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नही रहा हैं। इस पर जयचन्द पिता

किशना गुर्जर का अतिक्रमण रहा ,जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ओर से कार्यवाही भी की जाती रही है। विपक्षी ने मिली भगत कर गलत तथ्यों को आधार बना पटटा प्राप्त किया गया है। विपक्षी तृतीय श्रेणी अध्यापक है तथा उसका मकान भी है वह रियायती दर पर पटटा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1998 के नियम 167 (ख) के तहत प्रत्येक पटटे पर सरंपच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक रहता है। परन्त उक्त मामले में तत्कालीन सरपंच ने मनमकसूद तरीके से अकेले पटटा जारी किया गया है। तत्कालीन सरपंच ने वादग्रस्त पटटे वाली भूमि पर दिनांक 20.10.2011 को जयचन्द के कब्जे में होने तथा उसे कब्जा हटाने का निर्णय पारित करती है। तथा उसी दौरान 29.09.2011 को पर्चे कमेटी के मौका रिपोर्ट में गलतरूप से विपक्षी का पर्चा दर्शा पटटा जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड का पटटा जारी किये जाने के सम्बन्ध में सर्तकता समिति में दर्ज प्रकरण अनुसार ग्रामवासी पीपावास द्वारा उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति में शिकायत दर्ज करवाई ,जिस पर जांच की गई जिसमें पाया गया कि उक्त भूखण्ड पर कई वर्षो से जयचन्द पिता किशना गुर्जर का कब्जा होना पाया गया । विपक्षी जिसके पक्ष में पटटा जारी किया गया वह विपक्षी तृतीय श्रेणी अध्यापक होकर राजकीय सेवा में होते हुए भी पंचायत की बेशकीमती भूखण्ड को बाजार भाव से भी कम कीमत पर अपने उक्त भूखण्ड पर कब्जा नहीं होते हुए भी औने पौने दाम पर मिलीभगत करते हुए उक्त पटटा जारी किया गया है। उस पटटे पर न तो किसी दो गवाह के हस्ताक्षर है एवं नही आवंटी के उक्त पटटे पर हस्ताक्षर पाये गये। ग्राम पंचायत के सचिव के भी हस्ताक्षर उक्त पटटे पर नहीं होना पाया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अनुसूची के नियम 165 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उक्त गलत पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा संख्या 03 दिनांक 15.11.2011 को निरस्त करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे एंव जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी लिखित जबाव व बहस में बताया कि प्रार्थी/निगरानीकार को दिनांक 16.09.2011 को एक लिख्ति प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि ग्राम पीपावास में आबादी की भूमि पर मेरा पुराना कब्जा हैं तथा मकान की रहने की ,मवेशी बांधने हेतु भूमि की आवश्यकता हैं ,जिससे निगरानीकार ने विपक्षी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये मिशल कायम की गई तथा उक्त भूखण्ड के लिए पुराना कब्जा विपक्षी का होने के बावजूद भी निलामी की प्रक्रिया अपनाई गई। जिसमें मौका नक्शा बनाकर आपत्ति चस्पा की गई तथा प्रस्तावित कमेटी द्वारा मौका देखा गया ,मौके पर पूर्व से ही विपक्षी का कब्जा होने से उक्त प्लाट को विक्रय करने में कोई बाधा नहीं आई एवं विपक्षी का कब्जा होने से अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त विक्रय बाबत कोई आपत्ति नही की गई जिससे नीलामी की प्रारम्भिक राशि 5100/– पांच हजार एक सौ रूपये में ही छूट गई । विपक्षी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उक्त भूखण्ड पर पटटा जारी होने के कई वर्षो पूर्व से ही कब्जा विपक्षी का ही है। उक्त भूखण्ड सामान्य जाति के व्यक्तियों की आबादी के बीच स्थित होने से सामान्य जाति के व्यक्तियों द्वारा निगरानीकार से मिलीभगत कर मिथ्या तथ्योंपर आधारित निगरानी पेश की गई । उक्त भूखण्ड पर कई वर्षो पूर्व से जयचन्द पिता किशना गुर्जर का कब्जा होने के तथ्य अंकित किये गये है। तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है। उक्त भूखण्ड विपक्षी के भूखण्ड के पूर्वी दिशा में स्थित है। उक्त प्लाट से जयचन्द पिता किशना गुर्जर का कोई लेना देना नही है। केवल मात्र

निगरानीकार द्वारा जयचन्द गुर्जर एवं अन्य सामान्य जाति के व्यक्तियों से मिलीभगत कर मिथ्या तथ्योपर आधरित निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकार द्वारा वर्ष 2011 में पटटा जारी करना एवं वर्ष 2017 में पटटा निरस्त करवाने की कार्यवाही करवाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित हैं पटटा निरस्त किये जाने की स्थिति में विपक्षी के साथ घोर अन्याय होगा। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में डीएलसी रेट से भी कम राशि में विक्रय करने की आपत्ति उठाई गई है जिसमें निगरानीकार नियमानुसार कार्यवाही कर कमी राशि वसूल करने के लिए सक्षम है। तत्कालीन सरपंच ने वादग्रस्त पटटे वाली भूमि पर विपक्षी का ही कई वर्षो पूर्व से कब्जा होने से एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति नहीं होने से नियमानुसार पटटा जारी किया है। पटटा जारी करने वाली संस्था ग्राम पंचायत कोटडी को अपने ही द्वारा किये गये आदेश के खिलाफ किसी भी प्रकार की रिविजन ,अपील आदि पेश करने की अधिकारिता नही है। निगरानीकार स्टोपल के सिद्वान्त से प्रतिबन्धित है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावे।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विपक्षी तृतीय श्रेणी अध्यापक है तथा उसका मकान भी है वह रियायती दर पर पटटा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1998 के नियम 167 (ख) के तहत प्रत्येक पटटे पर सरंपच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक रहता है। अतः पंचायत राज नियम 1998 के नियम 167 (ख) की पालना नहीं करने से ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी पटटा संख्या 03 दिनांक 15.11.2011 निरस्त किया जाता है। निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी किया गया पटटा 03 दिनांक 15.11.2011 निरस्त किया जाता है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द